

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

एल0ए0 वाद संख्या 119 / 2018-19 / 138 / भू0अ0, साहेबगंज दिनांक - 15-02-2021

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना मोगलपाड़ा (NH-80 पर) - महाराजपुर-बिन्दुपाड़ा-फरीदपुर (पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण काय हेतु मौजा- मुगलपाड़ा, थाना- बरहरवा, थाना सं0- 33-55, अंचल- बरहरवा, जिला- साहेबगंज में कुल- 0.087 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.087 एकड़ यानिX..... हेक्टेयर है और जो कि मौजा- मुगलपाड़ा, थाना- बरहरवा, थाना सं0- 33-55, अंचल- बरहरवा, जिला- साहेबगंज में है जिसका विवरणी निम्नलिखित है:-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड संख्या)				
							उ 0	द0	पू0	प0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	272	862	रैयती	बाड़ी दायम	0.052	1) बेदोरा बेगम पति - स्व0 समसुल अंसारी 2) अमीरूल इस्लाम पिता - स्व0 अब्दुल रहीम सा0 - महाराजपुर	मौजा -महाराजपुर-64	मौजा - निजामपुर-63	मौजा -महाराजपुर-64	निजामपुर	
2	272	860/1	रैयती	बाड़ी दायम	0.018	जहाँगीर अंसारी पिता - स्व0 हुसैन अंसारी सा0 - महाराजपुर					
3	272	860/2	रैयती	बाड़ी दायम	0.017	अब्दुल रहमान पिता-अब्दुल कुदुस सा0-चाकपाड़ा					
कुल रकवा -					0.087						

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X, थाना सं0-..... X, अंचल-..... X, जिला -X....., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानिX..... हे0 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।


उपायुक्त,
साहेबगंज।